

कार्यालय मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : अ.मु.अ.तृतीय / 2017-18 / 156

दिनांक : 11/07/2017


कार्यालय आदेश

विषय :- RERA अधिनियम व नियम के अन्तर्गत मण्डल में चल रही परियोजनाओं के पंजीयन हेतु पृथक से बैंक खाता खोलने के संबंध में।

THE REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT 2016 (RERA) & RAJASTHAN GOVERNEMENT RULES 2017 के तहत मण्डल की वर्तमान में चल रही परियोजनाओं का पंजीयन खण्ड स्तर से 31.07.2017 से पूर्व करवाया जाना है।


RERA अधिनियम 2016 की धारा 4 क्लॉज 1 सब क्लॉज D एवं RERA नियम के डिक्लेरेशन (फार्म B) के बिन्दु संख्या 4 के अन्तर्गत प्रत्येक परियोजना का पृथक से बैंक खाता खोला जाना है।

अतः 31 जुलाई 2017 तक मण्डल में सभी आवासीय अभियंताओं को THE REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT 2016 (RERA) & RAJASTHAN GOVERNEMENT RULES 2017 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने के उद्देश्य से, मण्डल में चल रही परियोजनाओं के पृथक-पृथक बैंक खाते सनदी लेखाकार की सलाह अनुसार खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


(डॉ. के.बी. गुप्ता)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव- अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव- आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. समस्त उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त
7. समस्त आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड.....
8. प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि समस्त संबंधितों के ई-मेल पर उक्त पत्र प्रेषित करावें एवं मण्डल की वेबसाईट पर महत्वपूर्ण आदेशों में अपलोड करावें।
9. रक्षित पत्रावली


मुख्य अभियंता (मुख्यालय),
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर